न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

राजस्व रेफरेन्स प्रकरण संख्या 306/2007 पुनः दर्ज 117/2021

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, हाल दूदू, जिला जयपुर ।

(प्रार्थी)

बनाम

1. हीरा, मंगल, महेन्द्र पिता धन्ना जाति चमार निवासी ग्राम हरसोली, हाल दूदू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. गोपाल लाल पुत्र मांगूराम जाति बैरवा, निवासी ग्राम नासनोदा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

(अप्रार्थी)

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
2. पैरोकार सरकार

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 82 एल.आर.एम्ट

निर्णय

दिनांक :– 16.02.2026

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत नवीनतः रेफरेन्स के तथ्य निम्नानुसार है :–

ग्राम हरसोली, तहसील दूदू की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–29 के खाता संख्या 63 के कॉलम नं. 5 में गोपाल वल्द भूरिया कौम चमार सा. देह कॉलम नं0 6 में ख0नं0 1576 कॉलम नं0 7 में क्षेत्रफल 5 बीघा 10 बिस्वा एवं कॉलम नं0 8 में (भूमि वर्गीकरण) तालाबी अव्वल 5 बिघा 5 बिस्वा व गै0मु0 तालाब 5 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है।

नांतारकरण संख्या 76/18.9.60 से गोपाल वल्द भूरिया की विरासत धन्ना पुत्र गोपाल चमार के नाम दर्ज हुई है। नाम0सं0 1226/27.07.2000 से धन्ना पुत्र गोपाल की विरासत हीरा, मंगल, महेन्द्र पिता धन्ना के नाम दर्ज हुई। नवीन सेटलमेंट 26 मार्च 2004 से 25 मार्च 2024 के खाता संख्या 616 में साबिक खसरा नं0 1576 के हाल ख0नं0 1984 कायम कर रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर क्षेत्रफल 1.3900 हैक्टेयर तालबी प्रथम हीरा, मंगल,

Scanned with OKEN Scanner

महेन्द्र पिता धन्ना कौम चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। ना0सं0 1583/08.02.2006 से जरिये बेचान हीरा मंगल महेन्द्र पिता धन्ना कौम चमार सा. देह के स्थान पर गोपाल पुत्र मांगूराम कौम बैरवा सा. नासनोता के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकीन नदी, नाले, झील, उपनदी, तालाब, तलाई को यथा स्थिति में रखने के आदेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है।

उक्त प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 1576 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में तालाबी अव्वल 5 बीघा 5 बिस्वा व गै.मु. तालाब 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी जिसे हाल सेटलमेन्ट में गै. मु. तालाब को हजफ कर सम्पूर्ण भूमि को हाल खसरा नम्बर 1984 कायम कर क्षेत्रफल 1.39 हैक्टयर को ताबाबी प्रथम दर्ज कर दिया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 का उल्लघंन है। अतः उक्त खातेदारी को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत है।

प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलक्टर–द्वितीय, जयपुर से नवीन क्षेत्राधिकार निर्धारित होने के कारण इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 हीरा मंगल, महेन्द्र पिता धन्ना बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. तामील अनुपस्थित रहें।

पेशकार सरकार ने दौराने बहस प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1576 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में तालाबी अव्वल 5 बीघा 5 बिस्वा व गै.मु. तालाब 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी जिसे हाल सेटलमेन्ट में गै.मु. तालाब को हजफ कर सम्पूर्ण भूमि को हाल खसरा नम्बर 1984 कायम कर क्षेत्रफल 1.39 हैक्टयर को ताबाबी प्रथम दर्ज कर दिया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 का उल्लघंन है। जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकीन नदी, नाले, झील, उपनदी, तालाब, तलाई को यथा स्थिति में रखने के आदेश है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने निवेदन किया कि प्रकरण में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 के खाता संख्या 63 में तालाबी अव्वल 5 बिघा 5 बिस्वा व गै0मु0 तालाब 5 बिस्वा बतायी गयी है, जबकि मौके पर काश्त हो रही है। अप्रार्थीगण के पक्ष में गैर–खातेदारी से खातेदारी मिल चुकी है। उक्त भूमि कभी भी गै0मु0 तालाब नहीं रही है, बल्कि काबिल काश्त रही है। अप्रार्थीगण गरीब है तथा सम्पूर्ण परिवार इस जमीन के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रकरण अब्दुल रहमान प्रकरण से भिन्न है तथा इसके अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का आद्योपान्त मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालन में किया गया है। मा. उच्च न्यायालय ने जल भराव क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप एवं उपयोग में लाने हेतु निर्णय के बिन्दू संख्या 15(1) में 15 अगस्त 1947 को जो भूमियां नदी, नाले, उप नदी, झील एवं तालाब इत्यादि के रूप में दर्शायी गयी

अतिरिक्त जिला कलक्टर

है, उनको सरकारी भूमि घोषित किए जाने एवं 15.8.1947 के पश्चात् उक्त भूमियों के संबंध में किए गए संपरिवर्तनों को अवैध (नियम विरूद्व) घोषित किया जावें, बाबत् निर्देश दिए हैं एवं संबंधित अधिनियम एवं नियमों में भी इस अनुरूप संशोधन किया जावे, के निर्देश भी है।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के कम में प्रकरण का परीक्षण किया गया। तहसीलदार फागी द्वारा दिनांक 14.05.2015 को प्रेषित नवीन रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 1570 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में तालाबी अव्वल 5 बीघा 5 बिस्वा व गै.मु. तालाब 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थी जिसे हाल सेटलमेन्ट में गै. मु. तालाब को हजफ कर सम्पूर्ण भूमि को हाल खसरा नम्बर 1984 कायम कर क्षेत्रफल 1.39 हैक्टयर को तालाबी प्रथम दर्ज कर दिया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लघंन है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 के अनुसरण में विवादित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख की स्थिति के मद्देनजर प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के योग्य होने के कारण प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
जिला कलक्टर
दूदू